



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-23102026-277373
CG-CG-E-23102026-277373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5531]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 5531]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 17 अक्तूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

का.आ. 5748(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4440 तारीख 21 अगस्त 2026 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर, रायपुर-लखौली, दुर्ग-दारेकसा के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र हरि भूमि (हिन्दी) पत्रिका (हिन्दी) एवं हितवादा (अंग्रेजी) दिनांक 04/09/2026 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20 घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा(1) के

अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, दारेकसा - मुंडीकोटा, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना रहित या सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण -

जिला - रायपुर					राज्य - छत्तीसगढ़			
S N	अनुविभागीय अधिकारी(रा०)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूस्वामी का नाम	भूमि की प्रकृति	खसरा सं	कुल क्षेत्रफल (हे०)में.	अर्जित क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अनुविभागीय अधिकारी(रा०) तिल्दा-नेवरा, जिला - रायपुर	खरोरा	कोदवा	अर्चना गुप्ता पति नवीन गुप्ता	पडत	14/1	0.275	0.175
	Total						0.275	0.175

[फा. सं. सीपीएम/बीएसपी /इले/2x25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./ 20 E /2627]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAY

(South East Central Railways)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 17th October, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20 E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 5748(E).— Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number **4440**, dated the **21 August 2026** published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, **Tilda-Durg**, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur, Raipur-Lakholi, Durg- Darekasa sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, **Chhattisgarh**, Maharashtra over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers **Hari Bhumi (Hindi)**, **Patrika (Hindi)** and **Hitvada (English)** on dated **04/09 /2026** and whereas, **no objection was received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

Details of land being acquired with or without structure in the state of Chhattisgarh –

District – Raipur					State - Chhattisgarh			
S N	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Bhumi swami kaa naam	Nature of land	Khasra no.	Total area (in Hec)	Acquired Area (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SDM (Rev) Tilda, (Distt. - Raipur),	Kharora	Kodwa	Archana Gupta Pati Naveen Gupta	Padat	14/1	0.275	0.175
Total							0.275	0.175

[F. No. CPM/El. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E/2627]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.